

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ-5-48/2016/10-2
प्रति,

रायपुर, दिनांक

25-02-2017
/11/2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़ रायपुर ।

विषय:- आवेदनकर्ता पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव का कोण्डागांव जिले में दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्र. पी. 773 के 5.00 हे० वन भूमि में फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर निर्माण के गैर वानिकी कार्य लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ:-1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 16.06.2011 तथा दिनांक 25.02.2016 ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का ज्ञापन क्र. /भू-प्रबंध/विविध/ 115-611/2381 दिनांक 16/09/2016 ।

-----00-----

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें, जिसमें आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी ।

विषयांकित प्रकरण को भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्र.एफ.नं. 11-9/98-एफ.सी. दि. 13.05.2011, दिनांक 16.06.2011 तथा दिनांक 25.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत विचारोंपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा कोण्डागांव जिले में दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्र. पी. 773 के 5.00 हे० वन भूमि में फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव जिले को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- 2.(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1996 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-II) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 5.00 हे. वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी ।
- (ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी । उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा ।
3. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली - 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में ई-चालान से आन लाईन पोर्टल के माध्यम हस्तांतरित की जायेगी ।
4. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जायेगी ।
5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
6. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।
7. प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन क्षेत्र में वृक्ष नहीं काटे जाएंगे ।
8. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को प्रेषित करेंगे ।

9. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय को निवेदन करेंगे ।
10. क्षेत्र के फलोरा एवं फाना के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा शर्त संख्या 2 एवं 3 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, इस प्रकरण का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा ।

जब तक राज्य शासन औपचारिक अनुमोदन न कर दे, वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता को वनभूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(एम.एन.राजूरकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
रायपुर, दिनांक 11/11/2016

25-02-2017

पृष्ठांकमांक एफ-5-48/2016/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग रायपुर ।
3. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर (छ.ग.)
4. वन मंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल कोण्डागांव (छ.ग.)
5. आवेदनकर्ता पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव जिले छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6. आदेश फोल्डर ।

OK

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग